सं.2(8)/2012-ई.II (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-ग्रेटर नोएडा में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

यह देखा गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए ग्रेटर नोएडा में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन के 30% की दर पर मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

2. इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 01/09/2008 से पूर्व मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ग्रेटर नोएडा एक 'अवर्गीकृत' शहर/स्थान था और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने और इस प्रयोजन हेतु शहरों/नगरों के वर्गीकरण के संबंध में दिनांक 29/08/2008 के इस मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत दिनांक 01/09/2008 से इसे 'जेड' श्रेणी के नगर/स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का अक्षरश: क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।